राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांकः प. 17(10)शिक्षा–2/2018 जयपुर, दिनांकः 21/08/2018

1. आयुक्त, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् सह विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
3. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
4. राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा अभियान एवं अतिरिक्त आयुक्त राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्।

विषयः–राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग के ब्लॉक/जिला/संभाग स्तरीय कार्यालयों के पुनर्गठन से अधिशेष कार्मिकों के पदस्थापन के संबंध में दिशा–निर्देश बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग के पत्रांक प. 21(32)प्राशि/आयो/2017 पार्ट दिनांक 08.08.2018 के अनुसार राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग के ब्लॉक, जिला एवं संभाग स्तरीय कार्यालयों का पुनर्गठन कर एकीकृत शिक्षा संकुलों की स्थापना से कतिपय कार्मिक अधिशेष हो गये है। उक्त अधिशेष कार्मिकों का निम्नलिखित दिशा–निर्देशानुसार काउन्सलिंग के माध्यम से पदस्थापन किया जाना सुनिश्चित करावे.

1. अधिशेष कार्मिकों का पदस्थापन काउन्सलिंग कैम्प के माध्यम से किया जावेगा।
2. इस प्रक्रिया में किसी कार्यालय में स्वीकृत पद पर 1 से अधिक कार्मिक उपलब्ध होने की स्थिति में प्रोजक्टो में प्रतिनियुक्त कार्मिकों में से संबंधित संवर्ग के अधिकतम प्रतिनियुक्ति अवधि वाले कार्मिक को अधिशेष घोषित किया जावेगा तथा न्यूनतम अवधि वाले कार्मिक को यथावत रखा जावेगा।
3. प्रोजेक्टों के अतिरिक्त कार्यालयों में स्वीकृत पद पर 1 से अधिक कार्मिक उपलब्ध होने की स्थिति मे संबंधित संवर्ग के कनिष्ठतम कार्मिक को अधिशेष घोषित किया जावेगा तथा वरिष्ठतम कार्मिक को यथावत रखा जावेगा।
4. जिला स्तर के अधिशेष कार्मिकों की काउन्सलिंग उनके मूल पदस्थापन वाले जिले में, मण्डल स्तर के कार्मिकों की काउन्सलिंग उनके मूल पदस्थापन वाले मण्डल में तथा राज्य स्तर के अधिशेष कार्मिकों की काउन्सलिंग संबंधित निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा के स्तर पर की जावेगी।
5. पदस्थापन की कार्यवाही केवल स्पष्ट रूप से रिक्त पदो पर ही की जावेगी।
6. काउन्सलिंग कैम्प का आयोजन संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा/उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा/निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा किया जावेगा।
7. काउन्सलिंग कैम्प में संबंधित पद/विषय के समस्त रिक्त पदों को प्रदर्शित किया जावेगा।
8. किसी भी कार्मिक को पद विरुद्ध पदस्थापित नहीं किया जावेगा।

लगातार .... 2 पर।

www.rajteachers.com

21.8.18

9. अधिशेष कार्मिकों के पदस्थापन हेतु वरियता क्रम का निर्धारण निम्न क्रम मे किया जावेगा (संबंधित पद/विषय के संदर्भ में) :–

   I. 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग तथा असाध्य रोग (कैन्सर एवं ब्रेन ट्यूमर) से पीडित अभ्यर्थी (वरिष्ठता के क्रम में)
   II. विधवा एवं परित्यक्ता महिला अभ्यर्थी (वरिष्ठता के क्रम मे)
   III. महिला अभ्यर्थी (वरिष्ठता के क्रम मे)
   IV. शेष अभ्यर्थी (वरिष्ठता के क्रम में)

10. संबंधित नियुक्ति अधिकारी द्वारा बिन्दु संख्या 4 के अनुसार तैयार की गई रिक्तियों की सूची एवं बिन्दु संख्या 5 के अनुसार तैयार की गई वरियता सूची का प्रकाशन विभागीय वेबसाईट तथा कार्यालय पर किया जाकर वरियता सूची में निर्धारित वरियता क्रमानुसार Counselling Camp (परामर्श शिविर) आयोजित किया जावेगा।

11. कार्मिक द्वारा Counselling Camp (परामर्श शिविर) मे चयनित रिक्त स्थान पर पदस्थापन के आदेश कैम्प के दिन ही जारी कर वेबसाईट एवं कार्यालय नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित किये जावेंगे।

12. जो कार्मिक Counselling (परामर्श प्रक्रिया) मे अनुपस्थित रहेंगे, उन्हे Counselling (परामर्श प्रक्रिया) पश्चात् नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संबंधित पद/विषय की प्रकाशित रिक्तियों में से शेष रहे पदों पर पदस्थापन के आदेश कैम्प के दिन ही जारी कर वेबसाईट एवं कार्यालय नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित किये जावेंगे।

13. आदेश जारी करने से पूर्व उपलब्ध रिक्तियों एवं कार्मिक की विगत (सही Details where about) की जांच कर आदेश जारी किये जावें, त्रुटियां नहीं हो। संस्थागत त्रुटियां होने पर संबंधित के विरूद्ध विभागीय जांच सुनिश्चित की जावें।

14. यह दिशा–निर्देश स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग के पत्र क्रमांक प. 21(32)प्राशि/आयो/2017 पार्ट दिनांक 08.08.18 से उपलब्ध अधिशेष कार्मिकों पर ही लागू होंगे। अन्य प्रकार से उपलब्ध कार्मिकों का पदस्थापन संबंधित दिशा–निर्देशों के अनुसार ही किया जावेगा।

भवदीय
21.8.18
(कमलेश आबुसरिया)
शासन उप सचिव

www.rajteachers.com

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–
1. समस्त उपनिदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, संभाग ....
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, जिला ....
3. रक्षित पत्रावली।

21.8.18
(रामेश्वर लाल जाट)
अनुभागाधिकारी